हकियत वाद सं0– 118 / 2015

दिनांक–20.07.2021

उभय पक्षों की हाजरी है। वादी के प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 03.07.2020 पर प्रतिउत्तर दिनांक 20.07.2021 सनुवाई के पश्चात् आज आदेश हेतु प्रस्तुत है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि इस वाद के वादी सं0 1 रामनाथ राय का निधन दिनांक 24.01.2020 को हो गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी सं0 1 रामनाथ राय के नाम पर उनके वारिसान के नाम प्रतिस्थापित करने का अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी के द्वारा इसका विरोध किया गया है। प्रतिवादी का कहना है कि रामनाथ राय दिनांक 24.01.2020 को मर गए हैं। आवेदन पत्र विलंब से दाखिल किया गया है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने प्रतिस्थापना का आवेदन दिया है जो शपथ पत्र से समर्थित है। विलंब को माफ करने हेतु तथा सूट अबेट कर गया हो तो उसे सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः विलंब को माफ करते हुए वादी के आवेदन दिनांक 03.07. 2020 को 500 / – रूपये खर्च पर न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता ह कि इस आदेश के 14 दिनों के भीतर नाजिर के समक्ष अपने आवेदन के आलोक में संशोधन कर लें।

वाद दिनांक– 17.08.2021 अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।